महिला समृद्धि बाजार योजना

दिशा निर्देश

1. उद्देश्यः

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रह रहे बेरोजगार महिला एवं नवयुवतियों को उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनके द्वारा तैयार उत्पाद का उचित भूल्य दिलाने हेतु सस्ता एवं सुरक्षित तथा मूलभूत सुविधायुक्त बाजार स्थल पर दुकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से'' महिला समृद्धि बाजार योजना'' प्रारंभ की जा रही है । यह योजना राज्य प्रवर्तित ''मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना'' की उपघटक है ।

2. पात्रताः

छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के उन महिलाओं एवं युवतियों को इसकी पात्रता होगी, जिनके अभिभावक/पालन की वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं हो ।

3. योजना का कार्य क्षेत्र तथा क्रियान्वयनः

यह योजना प्रदेश के समस्त नगरपालिक निगमों एवं नगरपालिका परिषदों, जिनकी आबादी 50,000 से अधिक है, में लागू की जावेंगी । परन्तु, प्रथम चरण में यह योजना रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा एवं जगदलपुर नगरपालिक निगमों में लागू की जावेगी ।

राज्य स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन 'राज्य शहरी विकास अभिकरण' द्वारा किया जावेगा, जबकि जिला स्तर पर इसका क्रियान्वयन संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जावेगा.

4. योजना के अंतर्गत् दिया जाने वाला लाभ :

इस योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों के द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत् दुकान बनाकर बेरोजगार महिला अभ्यर्थियों से निर्धारित अमानत राशि लेकर मासिक किराये पर, दिया जाएगा । आवंटिती को अमानत राशि के अलावा मासिक किराया भी नियमित रूप से देना होगा । दुकान पर मालिकाना हक नगरीय निकाय का रहेगा तथा आवंटिती के रूप में अपना व्यवसाय कर सकेगा ।

5. योजना के लिए भूमि की व्यवस्था:

इस योजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व जिला कलेक्टर का होगा । वे आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर उन्हें उपयुक्त भूमि इस हेतु उपलब्ध करायेंगे । यदि नगरीय निकाय के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध हो तो, उस पर भी योजना लिया जा सकेगा । भूमि का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिये, जो महिला की सुरक्षा के साथ-साथ उनके व्यवसाय का भली-भांति चलाने में सहायक हो । इस हेतु रू. 1/- प्रति वर्गफुट की दर से नगरीय निकाय को शासकीय भूमि उपलब्ध करायी जाएगी ।

6. योजना का स्वरूप तथा वित्तीय व्यवस्था:

योजना के अधीन संबंधित नगरीय निकाय द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए महिला बाजार में दुकानों की संख्या निर्धारित की जावेंगी । महिला बाजार हेतु 8'X10' वर्गफुट तक के माप की छोटी-छोटी पक्की दुकानें बनायी जावेंगी । महिलाओं द्वारा चयनित उद्योग की आवश्यकता के अनुसार महिलाओं को एक से अधिक दुकान का आवंटन भी प्रबंधकारिणी द्वारा किया जा सकेगा ।

6.1 दुकानों की लागत को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत राशि शासन द्वारा ऋण/ अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी तथा शेष राशि नगरीय निकाय द्वारा वहन किया जाएगा, जो हुडको अथवा किसी बैंक से लिया जा सकता है । इस परियोजना हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़, नोडल एजेंसी के रूप में कार्य

करेगी । दुकानों का कब्जा देते समय बेरोजगार महिलाओं द्वारा निम्नानुसार अमानत राशि व मासिक किराया नगरीय निकाय को देय होगा :-

(अ)	पचास हजार से एक लाख तक जनसंख्या वाली नगरीय निकाय की स्थिति में	-	अमानत राशि रू. 6000/- मकान किराया रू. 600/- प्रतिमाह
(ब)	एक लाख से तीन लाख तक की जनसंख्या के नगरीय निकाय की स्थिति में	-	अमानत राशि रू. 8000/- मकान किराया रू. 800/- प्रतिमाह
(स)	तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकाय की स्थिति में	-	अमानत राशि रू. 10,000/- मकान किराया रू. 1,000/- प्रतिमाह

6.2 अमानत राशि एकमुश्त जमा करना होगा ।

6.3 प्रत्येक तीन वर्ष में दुकानों के मासिक किराए में 15 प्रतिशत् की वृद्धि की जा सकेगी ।

6.4 यदि दुकानें गैर व्यवसायिक क्षेत्र में स्थित है तब परिस्थिति के अनुसार नगरीय निकाय द्वारा मासिक किराये में एक तिहाई तक की छूट दी जा सकेगी ।

7. दुकानों का आरक्षणः

दुकानों का आरक्षण, महिला वर्ग की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ विकलांग/ परित्यक्ता के लिये अचल संपत्ति अंतरण नियम, 1994 के अधीन किया जाएगा ।

8. अन्य शर्ते :

(अ) आबंटिती व्यक्ति दुकानों/चबूतरों में व्यवसाय स्वयं चलायेंगे, किसी अन्य को किराये पर नहीं देंगे ।

(ब) यदि किसी आबंटिती व्यक्ति को दुकान/चबूतरा की आवश्यकता न हो तो उसे दुकान/चबुतरा नगरीय निकाय को वापस लौटानी होगी ।

(स) अनुबंध की शर्तें का उल्लंघन करने पर नगरीय निकाय को दुकान/चबूतरा रिक्त कराकर कब्जा लेने का अधिकार होगा ।

(द) एक परिवार से एक व्यक्ति को ही आबंटन किया जायेगा ।

(इ) उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्तें नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित किये जायेंगे ।

9. लेखा का संधारण :

राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार लेखा का संधारण संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण उनके जिले की संबंधित निकायों के लिए तथा निकाय स्तर पर संबंधित नगरीय निकाय द्वारा लेखा का संधारण किया जायेगा तथा निर्धारित प्रपत्र में भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से राज्य शहरी विकास अभिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके आधार पर आगामी किश्तों का निर्गमन किया जा सकेगा । जिला शहरी विकास अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित निकाय में व्यय राशि न्यूनतम् हो और राशि का किसी प्रकार से दुरूपयोग या अन्यथा उपयोग न किया जावे ।

इस योजना के लिए शासन द्वारा विमुक्त की गई राशि नगरीय निकायों द्वारा बैंक में पृथक खाता खोलकर रखी जावेगी, जिसका परिचालन आयुक्त, नगरपालिक निगम अथवा मुख्य नगरपालिका अधिकारी (जैसी स्थिति हो) तथा परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जावेगा ।

(बी.के.सिन्हा)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग